


22.08.2023:-पत्रावली आज पेशी मे आई। वादी अधिवक्ता उपस्थित।

वादी अधिवक्ता श्री सन्तोष भाटी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण का आपस मे राजीनाम हो गया। पक्षकारान के राजीनाम हो जाने के कारण पत्रावली विद्वा करने के आदेश फरमावे। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री सन्तोष भाटी द्वारा की गई। अतः उक्त वादपत्र वादी मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हों


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़